116

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालि

प्र. क्र. निग/3910-II-15

1-ठाकुर समर बहादुर सिंह 2 अमर बहादुर सिंह

3. दशरथ सिंह 4. पदमनाथ सभी पुत्रगण संतकुमार, उम्र क्रमशः 56, 48, 45, 42 धंधा सभी खेती निवासीगण ग्राम करौंधिया दक्षिण तोला सीधी तह. गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.

-- अपीलाण्ट --- 0000000

दिनांक 2-12-15 को श्री रामसेवक शर्मा, अभि० द्वारा प्रस्तुत।
2-12-15
SO

बनाम

1. गिरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र भिम्मा सिंह चौहान उम्र 65 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम करौंधिया दक्षिण तोला तहसील गोपदबनास जिला सीधी म.प्र.

2. म.प्र. शासन --- 0000000 रेस्पाण्डेण्ट्स

सेकण्ड अपील 0000000 अन्तर्गत धारा 44 0, नये संशोधन अधि. 2011 म.प्र.भू रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 3.10.15 द्वारा पारित न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा सम्भाग प्र. क्र. 8/अपील 15-16 के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

अपीलाण्ट की अपील तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, ग्राम करौंदिया दक्षिण तोला तह. गोपदबनास सर्वे न. 301 रकबा 0.59 के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी रेस्पा. क्र. 1 है व बगल से लगा हुआ सर्वे न. 300 के भूमि स्वामी एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3910–दो/2015 जिला सीधी

गोपाल सिंह आदि विरूद्ध गिरेन्द्र बहादुर सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–9–2016	आवेदक अधिवक्ता ने अपर आयुक्त, के प्रकरण कमांक 8/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 3–10–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनोदक कमांक 1 गिरेन्द्र बहादुर सिंह ने एक आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 107(5) के तहत उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि सर्वे कमांक 301 रकबा 0.259 हैक्टर के भूमिस्वामी गिरेन्द्र सिंह है। उक्त सर्वे नम्बर में नये नक्शे तथा पुराने नक्शे से मिलान नहीं हो रहा है। इस कारण नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा मौजा पटवारी व राजस्व निरीक्षक को सर्वे नं 301 रकबा 0.259 हेक्टेयर के सम्बन्ध में स्थल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दौरान कार्यवाही आवेदकगण द्वारा प्रकरण में जानकारी होने पर आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न तो आवेदकगणों को पक्षकार बनाया और न आपत्ति पत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा आपत्ति निरस्त कर दी तथा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक रिर्पोट व मौजा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नक्शा दुरूस्ती हेतु कलेक्टर सीधी की ओर भेजा। अपर कलेक्टर सीधी द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 29/अ–74/14–15 पर दर्ज कर आवेदकगणों को सुनवाई का अवसर न देते हुये दिनांक 4–7–15 को नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये। इसके विरूद्ध अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 8/अपील/15–16 पर दर्ज किया तथा आदेश दिनांक	

3–10–15 को अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कायम कर अग्रिम कार्यवाही की गई है, जबकि संहिता की धारा 107(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन में अनुविभागीय अधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु बापस करना चाहिए था। इसके बावजूद भी अनुविभागीय ने प्रकरण कायम करने में अवैधानिकता की गई है। यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अपर कलैक्टर को अग्रेषित किया है, परन्तु उसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी थी, जिनकर पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को था। उक्त अग्रेषित प्रकरण के तारतम्य में अपर कलेक्टर द्वारा नक्शा दुरूस्ती के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता। आवेदकगण को प्रकरण में पूर्ण सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है तथा इन कानूनी बिन्दुओं को अनदेखा कर अपर आयुक्त द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया है। इस कारण अपर कलेक्टर जिली सीधी द्वारा पारित आदेश दि0 4–7–15 व अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 3–10–15 अवैध एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह भी तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि कमांक 301 रकवा 0.259 हेक्टर का नक्शा जिसके द्वारा कब त्रुटिपूर्ण नक्शा बनाया गया वह तथ्य अनावेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में नहीं बताया है। अपने तर्कों के समर्थन में एम0पी0एल0जे0 2004(1) एस0एन0 1

शिवनाथप्रसाद श्रीवास्तव तथा अन्य विरूद्ध राजस्व मण्डल तथा अन्य व आरएन 2002 पेज 238 एवं आरएन 2005 पेज 240 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि नक्शा दुरूस्ती कार्यवाही अपर कलेक्टर सीधी द्वारा की गई है जो उचित एवं वैधानिक है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 4–7–15 के द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण विवादित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र नक्शा दुरूस्ती हेतु संहित की धारा 107(5) के तहत आवेदन पत्र उपखण्डीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा प्रकरण में राजस्व निरीक्षक व मौजा पटवारी से नक्शा त्रुटि सुधार हेतु स्थल जॉच व पंचनामा प्राप्त कर प्रकरण नक्शा दुरूस्ती हेतु कलेक्टर सीधी को भेजा है तथा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई व राजस्व निरीक्षक व मौजा पटवारी की रिपोर्ट पर प्रतिपरीक्षण का अवसर न देकर पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107(5) के तहत खेत का नक्शा दुरूस्त करने या पुनरीक्षित करने का अधिकार कलेक्टर या बन्दोबस्त अधिकारी को है। अधीनस्थ न्यायालय नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही नहीं कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में गिरेन्द्र सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष नक्शा दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया था तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही की गई है, वह क्षेत्राधिकार रहित है और उचित व वैधानिक नहीं है। अनावेदक द्वारा नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में

प्रकरण कमांक निगरानी 3910--दो / 2015

गोपाल सिंह आदि   विरूद्ध   गिरेन्द्र बहादुर सिंह आदि   जिला सीधी

त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को नियमानुसार सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु बापस करना चाहिए था। इसके बावजूद भी अनुविभागीय ने प्रकरण कायम करने में अवैधानिकता की गई है। यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण अपर कलैक्टर को अग्रेषित किया है, परन्तु उसके पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी थी, जिनकर पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को था। उक्त अग्रेषित प्रकरण के तारतम्य में अपर कलेक्टर द्वारा नक्शा दुरूस्ती के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता। इस कानूनी बिन्दु का अपर आयुक्त द्वारा अनदेखी कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुये निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर का प्रकरण कमांक 29/अ-74/14-15 आदेश दिनांक 4-7-15 व अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक 08/अपील/15-16 आदेश दिनांक 03-10-15 अनियमित व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण में विवादित सर्वे नं. 301 के नक्शे में आदेश दिनांक 04-7-15 के पूर्व की स्थिति की कायम करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य